<u>आवश्यक</u>
<u>पंचायत उप निर्वाचन, 2025</u>

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार
STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

सत्यमेव जयते

पत्र संख्या - पं.नि. 30-41/2016 - 2647

प्रेषक,

मुकेश कुमार सिन्हा (भा.प्र.से.)
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)

पटना, दिनांक - 25.6.25

विषय : पंचायत उप निर्वाचन, 2025 : मतदान के दिन खराब ई.वी.एम. को बदलने हेतु कलस्टर चिह्नित कर स्थापित करने के संबंध में।

प्रसंग : आयोग का पत्रांक 2848 दिनांक 23.06.2025, पत्रांक 2757 दिनांक 17.06.2025 एवं पत्रांक 2734 दिनांक 22.07.2021

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आयोग प्रासंगिक पत्रांक 2848 दिनांक 23.06.2025 द्वारा ग्राम पंचायत एवं ग्राम कचहरी के सभी रिक्त पदों पर मतदान ई.वी.एम. के माध्यम से कराये जाने का निदेश दिया गया है।

साथ ही आयोग के पत्रांक 2757 दिनांक 17.06.2025 द्वारा मतदान/मतगणना दलों का गठन एवं उनके प्रशिक्षण संबंधी कार्रवाई आयोग के पत्रांक 2734 दिनांक 22.07.2021 के आलोक में किये जाने का निदेश दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि उक्त पत्र की कंडिका 4(12) (क) में निदेशित है कि ``प्रखंड मुख्यालय सहित पूरे प्रखंड के कई स्थानों को 'कलस्टर' (Cluster) के रूप में चिह्नित किया जाय। 'कलस्टर' के रूप में चिह्नित किये जाने वाले स्थानों का निर्धारण इस प्रकार से किया जाय कि इससे संबद्ध मतदान केन्द्र पर 30-45 मिनट में निश्चित रूप से पहुँचा जा सके।

इसके अतिरिक्त प्रत्येक पंचायत स्तर पर मतदान के दिन खराब ई.वी.एम. के Replacement के लिए एक सेक्टर मैजिस्ट्रट के साथ एक कर्मी की भी प्रतिनियुक्ति की जायेगी जो ई.वी.एम. मास्टर ट्रेनर के रूप में चिह्नित कर्मी होंगे। ये मास्टर ट्रेनर गृह प्रखंड तथा पदस्थापित प्रखंड से भिन्न प्रखंड के होंगे। इनकी प्रतिनियुक्ति कार्यालय आदेश द्वारा प्रशिक्षित कर्मियों को किया जाना चाहिए।``

चूँकि वर्तमान में पंचायत उप निर्वाचन सम्पन्न कराये जा रहे हैं, जिसमें सभी छः पदों का निर्वाचन किसी मतदान केन्द्र पर नहीं होता है, अतः आयोग द्वारा निदेश दिये गये हैं कि -

(क) जहाँ **जिला परिषद, ग्राम पंचायत मुखिया, पंचायत समिति सदस्य एवं ग्राम कचहरी सरपंच** का निर्वाचन हो रहा है, वहाँ के लिए पंचायतवार कलस्टर पर **ई.वी.एम. को पूर्व से तैयार कर** सुरक्षित इस प्रकार रंखें ताकि मतदान के क्रम में ई.वी.एम. में खराब आने पर उसे ससमय बदला जा सके एवं मतदान बाधित न हो।

(ख) जहाँ मात्र ग्राम पंचायत सदस्य तथा ग्राम कचहरी पंच पद के लिए मतदान होना है वहाँ भी पंचायत स्तर पर ऐसे स्थान पर कलस्टर चिह्नित करते हुये स्थापित की जाए ताकि मतदान के क्रम में ई.वी.एम. में खराब आने पर उसे ससमय बदला जा सके एवं मतदान बाधित न हो।

अनुरोध है कि तदनुसार कार्रवाई की जाय एवं तत्संबंधी निदेश से संबंधित निर्वाची पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाची पदाधिकारी के साथ-साथ सभी संबंधित को अवगत कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

सचिव।

ज्ञापांक - पं.नि. 30-41/2016 – 2871 *पटना, दिनांक –* 25.6.25

प्रतिलिपि, आई.टी. मैनेजर को आयोग के वेबसाईट पर पत्र अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक - पं.नि. 30-41/2016 – 2871 *पटना, दिनांक –* 25.6.25

प्रतिलिपि, सभी प्रमण्डलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक - पं.नि. 30-41/2016 – 2871 *पटना, दिनांक –* 25.6.25

प्रतिलिपि, सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।